यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, सचिव/आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, सचिव/आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, देहरादून के माह 04/2017 से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.07.2020 से 17.07.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग–प्रथम

1. परिचयात्मक– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.04.2017 से 20.04.2017 तक श्री पी0सी0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र– देहरादून।

(ii)(अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017–18	–	–	–	–	392.12	360.70	–	31.42
2018–19	–	–	–	–	465.27	432.13	–	33.14
2019–20	–	–	–	–	89.10	83.56	–	5.54
2019–20 (06/2020)	–	–	–	–	54.77	1.04	–	53.73

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	बचत
2017–18	कृषि गणना	–	104.05	104.05	96.11	7.94
2018–19	कृषि गणना	–	193.71	193.71	174.94	18.76
2019–20	कृषि गणना	–	62.94	62.94	49.18	13.76
2020–21 (06/2020)	कृषि गणना	–	9.10	9.10	2.70	6.40
2017–18	Digital Land Record Modernization Programme (DILRMP)	1278.48	57.94	1336.42	273.25	1063.17
2018–19	DILRMP	1063.17	547.46	1610.63	668.03	942.60
2019–20	DILRMP	942.60	2162.02	3104.62	875.79	2228.84
2020–21 (06/2020)	DILRMP	2228.84	0	2228.84	59.69	2169.14

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, सचिव/आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, देहरादून 'सी' श्रेणी की है। कार्यालय, सचिव/आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, देहरादून का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

मा0राजस्व मंत्री
प्रमुख सचिव/सचिव
अपर सचिव
उप सचिव
अनुसचिव
राजस्व परिषद का संगठन
अध्यक्ष राजस्व परिषद
आयुक्त एवं सचिव/सदस्य न्यायिक, मुख्यालय, देहरादून/सर्किट कोर्ट, पौड़ी/सर्किट कोर्ट,नैनीताल
आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल
जिलाधिकारी
सबडिविजन/एस0डी0एम0
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
भू–लेख निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
लेखपाल

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, सचिव/आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन–देन–कम–अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, सचिव/आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019, एवं 01/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

----------भाग 2'अ' ----------

--------शून्य-------

भाग – दो (ब)

प्रस्तर01: रु 80.69 लाख का परिहार्य व्यय।

भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना राष्ट्रिय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम {(National Lands Records Modernization Programme (NLRMP)} के क्रियान्वयन हेतु सितम्बर एवं नवम्बर 2014 में क्रमशः रु 465.14 लाख व रु 297.0290 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष उत्तराखंड शासन द्वारा जनवरी एवं मार्च 2015 में उतनी ही धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

भारत सरकार द्वारा उक्त योज़ना के एक कम्पोनेंट (Digitization of Cadastral maps and integration of textual and spatial data) हेतु रु 1000/ प्रति मैप शीट की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथा उक्त कम्पोनेंट का शत-प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार जनपद अलमोड़ा के 17054 मैप शीट एवं जनपद पौड़ी के 8003 मैप शीटों के डिजिटाईजेशन कार्य को पूर्ण करने हेतु, स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गयी थी। जिसके अनुसार उक्त कार्य सितम्बर 2016 तक पूर्ण किया जाना था।

भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत रु 1000/ प्रति मैप शीट की दर को 29 सितम्बर 2015 को हुई Core Technical Advisory Group (CTAG) की छठी बैठक में बढ़ाकर रु 1500/ प्रति मैपशीट कर दिया गया, परंतु भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि बढ़ी हुईं दरें छठी बैठक की तिथि से प्रभावी होंगी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के पशचात परियोजना प्रबंधन इकाई, राजस्व परिषद द्वारा 20 अक्टूबर 2016 को ई-निविदा जारी की गयी तथा निविदा प्रपत्र में भारत सरकार द्वारा मैप शीट के डिजिटाईजेशन हेतु स्वीकृत दर 1000 प्रति मैप शीट के स्थान पर रु प्रति उल्लेख किया गया ;
- प्राप्त निविदाएंको खोली गयी 2016 नवम्बर 30 , जिसमे तकनीकी रूप से तीन फ़र्मों)Ramatech Software Solutions Pvt Ltd, Noida, Uttar Pradesh, Cyient Ltd, Hyderabad and IL&FS Environmental Infrastructure & Services Ltd, Gurgaon, Haryana) को सफल घोषित किया गया;
- उक्त तीनों फ़र्मों की वित्तीय निविदाओं को दिसम्बर को खोला गया 05। जिसमें Ramatech Software Solutions को न्यूनतम दरों रु /1323प्रति मैप शीट के आधार पर कार्य निष्पादन हेतु चुना गया।

- उक्त फर्म के साथ दिनांक को सम्झौता ज्ञापन किया गया 2017 अप्रैल 11। सम्झौता ज्ञापन के अनुसार उक्त कार्य तक पूर्ण किया जाना 2018 सितम्बर 11 था। फ़र्म द्वारा कार्य मार्च में पूर्ण 2019कर दिया गया।
- दोनों जनपदों में डिजिटाइज्ड की गयी कुल मैप शीटों के सापेक्ष उक्त फर्म को रु 24982 लाख का भुगतान किया जाना था 330.51, जिसके सापेक्ष ***रु 264.43लाख*** का भुगतांन किया जा चुका था तथा ***रु लाख 66.08*** की धनराशि भुगतान हेतु लंबित थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर उप राजस्व आयुक्त ने स्वीकार किया कि परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन आदि में अपरिहार्य विलंब के कारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही संभव नहीं हो पायी थी जिस कारण बढ़ी हुई दर पर मैप के डिजिटाइजेशन हेतु बढ़ी हुई दरों के अनुसार कार्य कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति के साथ-साथ धनराशि का आबंटन किया गया। उत्तर से स्पष्ट है कि योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता प्रदर्शित किए जाने के कारण, समय और दर वृद्धि घटित हुई। परिणामस्वरूप, परिहार्य व्यय घटित हुआ।

इस प्रकार, परियोजना प्रबंधन इकाई, राजस्व परिषद द्वारा, योज़ना के क्रियान्वयन में अत्यधिक बिलम्ब किये जाने, भारत सरकार द्वारा कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित समय-सीमा का पालन न किए जाने तथा स्वीकृत दरों से अधिक दरों को अनुमोदित किए जाने के कारण, उक्त कार्य में स्वीकृत धनराशि से रु 80.69 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त व्यय को वहन करने से स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया क्यूंकि बढ़ी हुई दरें CTAG की छठी बैठक से प्रभावी थीं। अतः बढ़ी हुई दरों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के कारण उक्त धनराशि का परिहार्य व्यय घटित हुआ।

यदि परियोजना प्रबंधन इकाई, राजस्व परिषद द्वारा योज़ना का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत किया गया होता तो रु 80.69 लाख के परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 02:- रु 21.69 करोड़ का अनुपयोगी रहना

भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना राष्ट्रिय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम {(National Lands Records Modernization Programme (NLRMP)} के क्रियान्वयन हेतु, राजस्व परिषद को 2014-15 से 2019-20 तक केंद्रान्श के रूप में रु 29.41 करोड़ तथा राज्य अंश के रूप में रु 13.59 करोड़ यानि कुल रु 43.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी।

जिसके सापेक्ष रु 21.31 करोड़ का व्यय किया गया तथा रु 21.69 करोड़ की धनराशि अव्ययित रही। इस प्रकार कुल प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कुल 49.55 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया गया तथा 50.45 प्रतिशत धनराशि अव्ययित रही।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी 15-2014, वित्तीय वर्ष में 16-2015 कम्पोनेंट् 21 योजना केस मेंसे केवल चार कम्पोनेंट पर ही व्यय किया गया;
- वित्तीय वर्ष में केवल तीन कम्पोनेंट पर ही व्यय किया गया 17-2016, वित्तीय वर्ष -2017 में केवल आठ कम्पोनेंट पर व्यय किया गया 18, वित्तीय वर्ष में पाँच कम्पोनेंट 19-2018 कम्प 12 में 20-2019 पर व्यय किया गया एवंोनेंट पर व्यय किया गया तथा शेष कम्पोनेंट पर कोइ धनराशि व्यय नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर उप राजस्व आयुक्त ने स्वीकार किया कि जनपदो में सर्वे और पुनः सर्वे एवं दो तहसील पौड़ी तथा दो तहसील अल्मोड़ा की आंतरिक संयोजन संबंधी गतिविधियां कार्यान्वित नहीं हो पायीं तथा विभागीय स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञता के अभाव में कतिपय कम्पोनेंट में अधिक समय लगा।

उत्तर से स्पष्ट है कि योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता प्रदर्शित किए जाने के कारण, योजना का आंशिक क्रियान्वयन ही किया जा सका। परिणामस्वरूप, योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि में से 50.45 प्रतिशत धनराशि रु 21.69 करोड़ अनुपयोगित रही।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:रु 5.60 लाख की सामग्री क्रय में अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप गुणवत्ता संबंधी प्रपत्र संलग्न न किया जाना।

अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली 2017 के प्रस्तर 33 के अनुसार जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु 25,000 तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति बिना कोटेशन / निविदा के खुले बाज़ार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नाकित प्रारूप मे प्रमाण पत्र अभिलेखित करने पर की जा सकती है:

"मे _____व्यक्तिगत रूप से संतूष्ट हूँ कि मेरे द्वारा क्रय की गयी सामग्री _____अपेक्षित विशिष्टियों तथा गुणवत्ता के अनुरूप है और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित दर पर क्रय की गई है।

हस्ताक्षर:
अधिकारी का नाम:
पदनाम:

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 में कार्यालय द्वारा स्टेशनरी, अनुरक्षण, अन्य व्यय और कंप्यूटर स्टेशनरी मद में रु 559913 **(अनुलग्नक-1)** कि अधिप्राप्ति की गयी। आगे, अधिप्राप्ति पत्रावली की संवीक्षा एवं व्यय देयकों की नमूना जांच में पाया गया कि किसी भी प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त प्रमाणपत्र अभिलेखित नहीं किया गया था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 में रु 5.60 लाख की अनियमित अधिप्राप्ति की गयी। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने कार्यालय ने बताया की भविष्य मे अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

Annexure - 1

Details of procurement made by the office Board of Revenue, Dehradun for the period 2017-18 to 2019-20

Sl no.	Name of the Firm	Date of purchase	Total amount of the bill
1.	S S Enterprises, Ddn.	25.12.2017	17582
2.	S S Enterprises, Ddn.	25.12.2017	14160
3.	S S Enterprises, Ddn.	26.12.2017	6796
4.	S S Enterprises, Ddn.	23.01.2018	19116
5.	S S Enterprises, Ddn.	07.03.2018	17582
6.	M/s Aswal Electricals, Ddn	24.04.2018	5900
7.	M/s Aswal Electricals, Ddn	02.05.2018	6000
8.	Jai Prakash & Sons Ddn	16.02.2018	24450
9.	Innovation water solution, Ddn	20.07.2019	4765
10.	S S Engineering Ddn	29.06.2019	14305
11.	-	18.09.2019	5000
12.	Devbhoomi Traders, Ddn	05.04.2019	1652
13.	Ananta Enterprises, Ddn	07.05.2019	5450
14.	-	18.07.2019	5326
15.	-	01.07.2019	5152
16.	Ansal Brothers, Ddn	01.03.2019	2405
17.	Ansal Brothers, Ddn	12.06.2019	2600
18.	Taneja Electricals, Ddn	26.04.2019	2320
19.	Taneja Electricals, Ddn	20.06.2019	2145
20.	Taneja Electricals, Ddn	30.09.2019	1980
21.	Taneja Electricals, Ddn	14.10.2019	1915
22.	Shri Entrprises, Ddn	08.08.2019	1062
23.	Shri Entrprises, Ddn	23.09.2019	944
24.	Smartzen Power Solutions, Ddn	25.01.2020	6773
25.	Smartzen Power Solutions, Ddn	25.01.2020	10982
26.	Service Samadhan, Ddn	13.11.2019	9735
27.	Chaudhary Associates	06.12.2019	5000
28.	Hura Hardware.Ddn	17.01.2018	1360
29.	Hura Hardware.Ddn	23.01.2018	1090
30.	Sai Infosystems, Ddn	11.05.2017	4147
31.	Sai Infosystems, Ddn	17.01.2017	10100
32.	Sai Infosystems, Ddn	24.11.2017	10100
33.	Taneja Electricals, Ddn	12.12.2017	2045
34.	S S Enterprises, Ddn	26.12.2017	1355
35.	S S Enterprises, Ddn	26.12.2017	4256
36.	Taneja Electricals, Ddn	21.10.2016	8620

37.	Global Vision Power Solutions, Ddn	06.06.2017	6325
38.	Hind Electricals, Ddn	07.06.2017	13440
39.	Bansal Brothers, Ddn	04.10.2017	7215
40.	Bansal Brothers, Ddn	03.11.2017	2550
41.	Hind Traders, Ddn	13.11.2019	6478
42.	Cool World Enterprises	05.12.2017	10620
43.	Service Samadhan, Ddn	09.10.2017	14337
44.	Swachh Bharat Group, Ddn	17.10.2017	3543
45.	PFG Water solutions, Ddn	18.02.2017	3500
46.	-	07.02.2018	9953
47.	-	16.01.2018	7358
48.	Himanshu Kothiyal, Ddn	22.02.2017	4100
49.	Himanshu Kothiyal, Ddn	04.05.2017	1740
50.	Himanshu Kothiyal, Ddn	24.05.2017	7180
51.	MSN Info System	01.06.2017	8925
52.	MSN Info System	01.09.2017	18560
53.	MSN Info System	27.10.2017	5760
54.	Cool World Enterprises	22.12.2017	5900
55.	Jai Prakash & Sons Ddn	03.04.2018	12980
56.	Taneja Electricals	14.06.2018	2395
57.	Reliable Traders, Ddn	17.07.2018	12567
58.	Cool World Enterprises, Ddn	08.08.2018	4602
59.	Jai Prakash & Sons Ddn	04.12.2017	13939
60.	Jai Prakash & Sons Ddn	11.07.2018	4130
61.	Reliable Reprogrphics, Ddn	27.08.2018	7354
62.	MSN Info Systems, Ddn	19.02.2019	8850
63.	Needs the Store, Ddn	25.06.2011	5029
64.	Sai Infosystems, Ddn	24.04.2018	4602
65.	Sai Infosystems, Ddn	30.04.2018	4602
66.	Sai Infosystems, Ddn	12.05.2018	4838
67.	S S Enterprises, Ddn	22.06.2018	3824
68.	Unique Power Solution, Ddn	17.12.2018	13853
69.	Taneja Electricals, Ddn	04.12.2018	2495
70.	Taneja Electricals, Ddn	17.10.2018	2520
71.	Jai Prakash and Sons Ddn	20.03.2018	24489
72.	Jai Prakash and Sons Ddn	11.03.2019	19846
73.	Sai Info Systems Ddn	16.06.2020	13844
74.	Rakesh Kumar & Bros Ddn	21.11.2019	11500
Total			**559913**

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
01/2017–18	शून्य	01	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
01/2017–18	भाग–दो ब प्रस्तर–01	अनुपालन आख्या अलग से प्रेषित की जायेगी	–	

भाग–IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः–शून्य

भाग–V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु सचिव/आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
   तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः– शून्य
2. सतत् अनियमितताऐं:– शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी	उप राजस्व आयुक्त (प्र)/ आहरण वितरण अधि०	16.05.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, सचिव/आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ए0एम0जी0–III को प्रेषित कर दी जाय।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी / AMG-III